



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2018/वैशाख 24, 1940

No. 310]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2018/VAISAKHA 24, 1940

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2018

सा.का.नि. 449(अ).—चूंकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद को महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 42) और इसके प्रावधानों के अनुसार सौंपे गए कृत्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 22 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.आ.1604(अ) द्वारा किया था;

और चूंकि उक्त अधिसूचना तथा पश्चावर्ती अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 762 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2007, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 787(अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2007, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 162(अ) दिनांक 12 मार्च, 2009, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 24 सितम्बर, 2009, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469(अ), दिनांक 20 जून, 2011, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 145(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2016, द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। नामित सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में जारी की गई सा.का.नि 627(अ) दिनांक 21 जून, 2017 और सा.का.नि. 866(अ) दिनांक 12 जुलाई, 2017 क्रमशः 20 जून, 2018 और 11 जुलाई, 2018 को समाप्त हो जाएगी।

अतः अब, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केंद्रीय परिषद) नियम, 2006 के नियम संख्या 3 और 4 के साथ पठित उक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (1) और (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार उक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थातः-

(क) अधिनियम की धारा 10(3)(ग) के अधीन राज्य सरकार के प्रतिनिधि :

1	सचिव (ग्रा.वि.), मणिपुर सरकार	- सदस्य, पदेन
2	सचिव (ग्रा.वि.), हिमाचल प्रदेश सरकार	- सदस्य, पदेन
3	सचिव (ग्रा.वि.), तमिलनाडु सरकार	- सदस्य, पदेन

4	सचिव (ग्रा.वि.), उत्तर प्रदेश सरकार	- सदस्य, पदेन
5	सचिव (ग्रा.वि.), केरल सरकार	- सदस्य, पदेन
6	सचिव (ग्रा.वि.), मध्य प्रदेश सरकार	- सदस्य, पदेन

(ख) अधिनियम की धारा 10 (3)(घ) के अधीन पंचायती राज संस्थाओं, कामगार संगठनों और वंचित समूहों से गैर सरकारी सदस्य :

1	डॉ० सोनम दावा लोमपो, मुख्य कार्यकारी परिषद, लद्दाख औटोनोमस हिल विकास परिषद, लेह, (जम्मू एवम कश्मीर)	सदस्य
2	श्रीमती सीमा कुमारी, सरपंच, कथियालपुर, जिला पठानकोट, पंजाब	सदस्य
3	श्री अभय कुमार, ग्रामीण कुली संगठन (गृहकूस), कर्नाटक	सदस्य
4	श्रीमती केशर देवी रोट, पूर्व-सरपंच, कडागडा ग्राम पंचायत, ब्लॉक - सांगवाडा, जिला - डूंगरपुर (राजस्थान)	सदस्य
5	कुमारी रेखा गुजारे, सचिव, पर्दिपन, बेतुल, मध्य प्रदेश	सदस्य
6	श्री पासा पटेल, प्रेसिडेंट, फोएनिक्स फ़ाउंडेशन, लातूर, महाराष्ट्र	सदस्य
7	कुमारी पुष्पा पाल, प्रोजेक्ट समन्वयक, ईस्टर्न यू पी स्वास्थ्य पहल कार्यक्रम, नटोर (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
8	श्री एस बी अग्रिहोत्री, पूर्व आई ए एस, (उड़ीसा)	सदस्य
9	श्री नरेन्द्र नाथ दामोदर, प्रदान, पदेन सदस्य सचिव एवम कार्यकारी निदेशक, झारखंड	सदस्य
10	श्रीमति संगीता ठाकुर, सरपंच, ग्राम पंचायत, मोरपानी, ब्लॉक केस्ला, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश	सदस्य
11	श्रीमती स्विटी कुमारी, अध्यक्ष पंचायती समिति, मनेर, जिला पटना (बिहार)	सदस्य
12	श्रीमती शोभा स्वाति रानी, अध्यक्ष, जिला पंचायत, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश	सदस्य

(ग) अधिनियम की धारा 10 (3)(ङ) के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी सदस्य :

1	श्री अमिताभ सिंह, ट्रस्टी, बहस कार्य समिति सदस्य, हवीबगंज, भोपाल	सदस्य
2	श्री हितेश शंकर, एडिटर, पंचजन्य वीकली, ई-84, मिंटो रोड, एमसीडी ऑफिसर कॉलोनी, नई दिल्ली-02	सदस्य
3	श्री संतोष रघुनाथ गोंधेलकर, निदेशक, प्रीमो इंजीनियरिंग, गोंधालेकर, पासन रोड, पुणे, महाराष्ट्र	सदस्य
4	श्री संजय चतुर्वेदी, सयोजक, दिव्या प्रेम सेवा मिशन, हरिद्वार, उत्तराखंड	सदस्य
5	श्री सुधीर अग्रवाल, अध्यक्ष, स्वच्छिक संघठन परिसंघ, गाँव असौरा, हापुर उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	श्री विक्शुत मूंदकर, सह संस्थापक और सीईओ, हुवि एयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मल्लेस्वरम, बैंगलोर, कर्नाटक	सदस्य
7	श्री जी वासुदेव, यांत्रिक इंजीनियर, विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी	सदस्य
8	प्रोफेसर मनोज पांडा, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनामिक ग्रोथ, दिल्ली, यूनिवर्सिटी इनक्लेव, नार्थ कैम्पस, नई दिल्ली - 110007	सदस्य

उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल 21 जून, 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। नियुक्ति की अन्य निबंधन और शर्तें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद) नियम, 2006 द्वारा विनियमित होंगी।

[फा. सं. एल-11011/01/2013-आर.ई.-I]

अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव (मनरेगा)

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2018

G.S.R. 449(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 1604(E), dated the 22nd September, 2006, the Central Government constituted the Central Employment Guarantee Council to discharge the functions and perform duties assigned to it by or under the provisions of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);

And whereas, the term of office of the members nominated *vide* said notification and subsequent Notification Numbers G.S.R.762(E), dated 5th December, 2007, G.S.R 787(E), dated 24th December, 2007, G.S.R. 162(E), dated 12th March, 2009, G.S.R. 699 (E) dated 24th September, 2009, G.S.R.469(E) dated 20th June, 2011 and G.S.R. 145(E) dated 5th February, 2016 has been ended. The existing notifications on the terms of office of the members nominated issued *vide* G.S.R. 627(E) dated 21st June, 2017 and G.S.R. 866(E) dated 12th July, 2017 will expire on 20th June, 2018 and 11th July, 2018 respectively;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (3) of Section 10 of the said Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 read with rules 3 and 4 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006, the Central Government hereby nominates the following members on the Council under sub-section (3) of section 10 of the said Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, namely: -

(A) Representatives of the State Governments under Section 10(3)(c) of Act

1	Secretary(RD), Government of Manipur	-Member, ex-officio
2	Secretary(RD), Government of Himachal Pradesh	-Member, ex-officio
3	Secretary(RD), Government of Tamil Nadu	-Member, ex-officio
4	Secretary(RD), Government of Uttar Pradesh	-Member, ex-officio
5	Secretary(RD), Government of Kerala	-Member, ex-officio
6	Secretary(RD), Government of Madhya Pradesh	-Member, ex-officio

(B) Non official members from Panchayati Raj Institutions, organizations of workers and disadvantaged groups under sections 10 (3) (d) of the Act.

1	Dr. Sonam Dava Lompo, Chief Executive Council, Laddakh, Autonomous Hill Development Council, Leh (J&K).	Member
2	Smt. Seema Kumari, Sarpanch, Kathiyalpur, District Pathankot, Punjab.	Member
3	Shri Abbhay Kumar, Grameena Kooli Sangathan (GRAKOOS), Karnataka	Member
4	Smt. Kesar Devi Roat, Ex- Sarpanch, Kadagada Gram Panchyat, Block-Sangwada, District Dungarpur (Rajasthan)	Member
5	Kumari Rekha Gujare, Secretary, Pradeepan, Betul, Madhya Pradesh	Member
6	Shri Pasha Patel, President, Phonics Foundation, Latur, Maharashtra	Member
7	Kumari Pushpa Pal, Project Coordinator, Eastern UP Health Initiative Programme, Natore, Uttar Pradesh.	Member
8	Shri S.B Agnihotri, Ex-IAS, Odisha	Member
9	Shri Narendra Nath Damodar, Pradan, Ex-Officio Member Secretary and Executive Director, Jharkhand	Member
10	Smt. Sangeeta Thakur, Sarpanch, Gram Panchyat, Morapani, Block Kesala, District Hoshangabad, Madhya Pradesh	Member

11	Smt. Sweety Kumari, President, Panchayat Samiti, Maner District- Patna (Bihar)	Member
12	Smt. Sobha Swathi Rani, Chairman, Zilla Panchayat, Vizinagaram, (Madhya Pradesh)	Member

(C) Non Official Members representing the states under Act 10 (3) (e) :

1	Shri Amitabh Singh, Trustee, Debate Work Committee Member, Habibganj, Bhopal	Member
2	Shri Hitesh Shanker, Editor, Pachjanya Weekly, E-84, Minto Road, MCD Officer Colony, New Delhi-110002.	Member
3	Shri Santosh Raghunath Gondhalekar, Director, Primo Engineering, Gondhalekar , Pashan Road, Pune, Maharashtra.	Member
4	Shri Sanjay Chaturvedi, Convener, Divine International Foundation (DIF), Haridwar, Uttarakhand.	Member
5	Shri Sudhir Aggarwal, President, Union of Voluntary Association, Village Asoura, Happur, Uttar Pradesh.	Member
6	Shri Vikshut Mundkur, Co-Founder and CEO, HUVI Air Technologies Private Limited, Malleswaram, Bangalore, Karnataka.	Member
7	Shri G. Vasudev, Mechanical Engineer, Vivekanand Kendra, Kanyakumari	Member
8	Professor. Manoj Panda, Director, Institute of Economic Growth, Delhi University Enclave, North Campus, New Delhi-110007	Member

The term of the office of the above mentioned members shall be for a period of one year from 21st June, 2018. The other terms and conditions of appointment shall be regulated by the Mahatma Gandhi National Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006.

[F. No. L-11011/01/2013-RE-I]

APARAJITA SARANGI, Jt. Secy. (MGNREGA)